राजस्थान सरकार

वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

विषयः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत संस्थाओं के लिए दिशा–निर्देश तैयार कराने बाबत।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान राजपत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 के माध्यम से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं।

समस्त उपापन संस्थाएँ (Procurement Entities) जिसमें राज्य सरकार के समस्त विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम, संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है, राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसायटी या न्यास या स्वायत्त निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय सम्मिलित है, के द्वारा सामग्री, सेवा, संकर्म (Work) के उपापन (Procurement) के मामलों में उक्त अधिनियम एवं नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में आपके अधीनस्थ संस्थाओं के विधान/नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई/संशोधन की प्रक्रिया अपनाने के साथ–साथ सम्बन्धित संस्था/संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) तैयार कराने का श्रम करें और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 56 के तहत राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु वित्त (SPFC) विभाग को प्रेषित करने का श्रम करें। इस बाबत आपको पूर्व में अ. शा. टीप दिनांक 23.05.2012 के माध्यम से भी निवेदन किया गया था। आपके सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिनियम, 2012 एंव नियम, 2013 वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करावें।

(सिद्धार्थ महाजन)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त(बजट) विभाग

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव
....

अशा.टीप संख्या प.3(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013
जयपुर, दिनांकः 2.6.2014